121
346

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

Rs. 30/-

सावित्री सिंह पत्नी श्री विश्वनाथ सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम चौड़ियार, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

R 5134-II/17

——————आवेदिका

बनाम

1— गोविन्द सिंह पिता स्व0 विश्वनाथ सिंह,

2— पुष्पराज सिंह पिता स्व0 विश्वनाथ सिंह,

3— सुशीला सिंह पत्नी स्व0 शिवनारायण सिंह

4— विवेक सिंह पिता स्व0 शिवनारायण सिंह

सभी निवासी ग्राम चौड़ियार, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

——————अनावेदकगण

अधि० श्री सत्येश्वर सिंह परिहार द्वारा पेश 28.3.17

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील गुढ़, जिला रीवा के प्रकरण क0—0048/अ—16—17 में पारित आदेश दिनांक 14/02/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा मूल अभिलेख बुलाये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

3— यह कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत खाता विभाजन के आवेदन पत्र में गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा निगरानीकर्ता के चोरी छिपे गैर जानकारी में फर्जी व अवैधानिक बटवारा पुल्ली प्रस्तुत कर

सावित्री सिंह

(121)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R5134-II /17 जिला–रीवा

श्रीमती सावित्री सिंह/ गोविन्द्र सिंह :

(1)	(2)	(3)
05/8/17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सन्तेश्वर सिंह परिहार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ के प्रकरण क्रमांक 48/अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	